

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-55/20

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.हीराराम पुत्र पदमाराम		01.हडमानराम पुत्र जेठाराम
02.हिमताराम पुत्र खमूराम		02.चुनाराम पुत्र जेठाराम
03.ओमप्रकाश पुत्र खमूराम		03.हबली पुत्री जेठाराम
04.मुनीदेवी पत्नी खमूराम		04.पारु पुत्री जेठाराम
05.घमण्डाराम पुत्र गिरधारीराम		05.धापु पुत्री जेठाराम
06.पेमी पत्नी गिरधारीराम		06.पेमी पुत्री जेठाराम
जाति जाट		07.अणसी बेवा जेठाराम
निवासी मूलजी का ढाणी		08.टीकमाराम पुत्र दुर्गाराम
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		09.भीयाराम पुत्र दुर्गाराम
		10.भंवराराम पुत्र पुनमाराम
		11.रेखाराम पुत्र पुनमाराम
		12.नारणाराम पुत्र पुनमाराम
		13.अमरु पत्नी पुनमाराम
		14.पदमी पत्नी हनुमानराम
		15.नरसींगराम पुत्र केहराराम
		जाति जाट
		निवासी—मूलजी की ढाणी
		तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
		16.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
		पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 29.03.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा मूलजी की ढाणी पटवार क्षेत्र जानियाना तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 23 रकबा 173.02 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 03.01.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार


सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा



मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मूलजी की ढाणी पटवार क्षेत्र जानियाना तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 23 रकबा 173.02 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	वरंग
1	हडमानराम, चेनाराम पि. जेंठाराम हवली पारु धापु पेमी पुत्रिया जेठाराम अणसी बेवा जेठाराम टीकमाराम भीयाराम पि. दुर्गाराम भंवराराम रेखाराम नारायणराम पि. पूनमाराम अमरु पत्नि पूनमाराम पदमी पत्नी हनुमानराम नरसीगाराम पुत्र केहराराम कौम जाट सा. माडपुरा खातेदार	मूलजी की ढाणी	23	86-11	बा.दोयम	-	नक्शे में दर्शित अनुसार
2	हीराराम पुत्र पदमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	मूलजी की ढाणी	23	28-09	बा.दोयम	-	नक्शे में दर्शित अनुसार
3	हिमताराम ओमप्रकाश पि. खमुराम उर्फ खेमाराम मुनी देवी पत्नी खमुराम उर्फ खेमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन-ओमप्रकाश व मुनीदेवी सा. हि RMGB शाखा बालोतरा में रहन	मूलजी की ढाणी	23	28-09	बा.दोयम	-	नक्शे में दर्शित अनुसार
4	धमण्डाराम, पुत्र गिरधारीराम पेमीदेवी पत्नी गिरधारीराम कौम जाट सा. देह खातेदार	मूलजी की ढाणी	23	28-09	बा.दोयम	-	नक्शे में दर्शित अनुसार
5	हीराराम पुत्र पदमाराम कौम जाट हिमताराम ओमप्रकाश पि. खमुराम उर्फ खेमाराम मुनीदेवी पत्नी खमुराम उर्फ खेमाराम घमण्डाराम पुत्र गिरधारीराम पेमीदेवी पत्नी गिरधारीराम कौम जाट सा. देह खातेदार	मूलजी की ढाणी	23	1-04	बा.दोयम (रास्ते हेतु)	-	नक्शे में दर्शित अनुसार



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


तहसीलदार,पंचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार भागवत,अरुण  
भरकर बाद जाच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व विभाग के  
विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पंच,  
पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।



सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखा जाकर ररे उच्चालय सहायक कलेक्टर



  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ) बालोतरा  
S.D.O.